


फा. सं. डीपी/पर्स-1/2010/10415/36/11/1997
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, भारत सरकार,
ब्लॉक नं. 3, चौथा तल,
केंद्रीय कार्यालय परिसर, लोदी रोड,
नई दिल्ली - 110003.

दिनांक : 11/1/10

कार्यालय आदेश सं. 11/2010

केंद्रीय सतर्कता आयोग के पत्र सं. एनटी-सीवीओ-101/68316 दिनांक 29.12.2009 के अनुसरण में श्री ए.के. पटेरिया, भा.पु.सेवा (एमपी : 1986), संयुक्त निदेशक (नीति), केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को अंशकालिक रूप से अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किया जाता है।


(श्रीमती एम. सचदेव)
प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)
के.अ.ब्यूरो, मु., नई दिल्ली।

प्रतिलिपि :

1. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग - श्रीमती मनीषा सक्सेना, उप-सचिव (वी-11), नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
2. सीवीसी- श्री एम. पिल्लै, ओएसडी, सतर्कता भवन, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक-ए, आईएनए, नई दिल्ली।
3. निदेशक, के.अ.ब्यूरो के निजी सचिव।
4. विशेष निदेशक और अपर निदेशक, के.अ.ब्यूरो के निजी सचिव।
5. सभी संयुक्त निदेशक, के.अ.ब्यूरो।
6. श्री ए.के. पटेरिया, संयुक्त निदेशक (नीति), के.अ.ब्यूरो, नीति प्रभाग, नई दिल्ली। यह अनुरोध है कि अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी सीबीआई के रूप में कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट प्रशासन प्रभाग को भेजें जो सीवीसी को भेजी जानी है।
7. अभियोजन निदेशक, के.अ.ब्यूरो, नई दिल्ली।
8. निदेशक, सीएफएसएल, नई दिल्ली।
9. सभी उपमहानिरीक्षक/उप-निदेशक, के.अ.ब्यूरो।
10. सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, सहायक निदेशक, के.अ.ब्यूरो, एआईजी (पी)-। और एआईजी (पी)-11, के.अ.ब्यूरो, नई दिल्ली।
11. मुख्यालय के सभी अनुभाग/प्रभाग।
12. इंचार्ज, कंट्रोल रूम, के.अ.ब्यूरो, मु., नई दिल्ली।
13. सूचना अनुभाग, के.अ.ब्यूरो, मु., नई दिल्ली।
14. इंचार्ज, सिस्टम डिवीजन, के.अ.ब्यूरो, मु., नई दिल्ली को सीबीआई वेबसाइट पर डालने के लिए।